कार्यालय : बरेली विकास प्राधिकरण,बरेली।
विकास ज्योति, प्रियदर्शिनी नगर, पीलीभीत रोड, बरेली।

पत्रांक सं0: 1712 मा०/का० बी० डी० ए०/2014 दिनाँक 10-06-14

स्वीकृति पत्र

बरेली विकास क्षेत्र की सीमा में भवन निर्माण विकास हेतु

एस0पी0वी0पी0 इन्फ्रा डेवलपर्स श्री वीरेन्द्र प्रकाश अग्रवाल
पुत्र स्व0 श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल
निवासी–35 बी–6 रामपुर बाग, बरेली।
निर्माण स्थल– खसरा नं0–790, 793/1 सुर्खा छावनी अन्दर चुंगी अलखनाथ रोड, बरेली।

आपके मानचित्र सं०–127/02/जी0एच0/13 दिनाँक 17–07–2013 के संदर्भ में निम्न प्रतिबन्धों के साथ आप द्वारा प्रस्तुत मानचित्र उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति दिनाँक 07–06–2014 के क्रम में स्वीकार करके निर्माण करने की आज्ञा प्रदान की जाती है यदि आपके द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो सुसंगत बिधिक कार्यवाही के साथ–साथ यह स्वीकृति भी निरस्त हो जायेगी। प्रस्तावित निर्माण स्वीकृत मानचित्र अनुसार एवं प्रयोजनार्थ किया जाना अनिवार्य है।

1- स्वीकृत मानचित्र स्वीकृति पत्र में अंकित शर्तो के साथ ही वैध होगा।
2- निर्माण हेतु प्रदत्त अनुज्ञा मानचित्र निर्गत की दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के लिए ही वैध होगी।
3- अनुज्ञा के अनुसार भवन का उपयोग उसी प्रयोजनार्थ किया जाना अनिवार्य है जिस हेतु अनुज्ञा प्रदान की गयी है।
4- प्रदत्त अनुज्ञा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अधीन रहेगी एवें पक्ष द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5- अनुज्ञा के अधीन निर्माण प्रारम्भ करने पर उसकी सूचना विहित प्रपत्र (परिशिष्ट–5) में आवेदक/भवन स्वामी द्वारा विकास प्राधिकरण को देना अनिवार्य तथा निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त भवन में अध्यासन से पूर्व निर्माण कार्य का पूर्णता/अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना भवन अथवा उसके किसी अंश का कोई उपयोग नही किया जायेगा।
6- प्रस्तावित निर्माण, सुसंगत भारतीय मानक संस्थान, नैशनल बिल्डिंग कोड–2005 तथा बी0आई0एस0 के सुसंगत प्राविधानों के अनुरूप संरचनात्मक सुरक्षा, भूकम्प रोधी व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा, प्रदूषण नियन्त्रण एवें अन्य संकटमय दृष्टिकोण से सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कराया जायेगा।
7- उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से प्राप्त अनापत्ति पत्र संख्या–1046/एनओसी–4437/13 दिनांक 22–08–13 में अंकित शर्तो का पालन सुनिश्चित करना होगा।
8- उपनिदेशक, विद्युत सुरक्षा उ0प्र0 शासन बरेली द्वारा जारी अनापत्ति संख्या–362(1)नि0/(ब0री0)/बी0डी0ए0 मानचित्र/2013–14 दिनांक 29–08–13 में अंकित शर्तो के अनुसा भवन निर्माण पूर्ण कराये जाने के पश्चात अनापत्ति प्रमाण–पत्र में अंकित सूचनाये विद्युत सुरक्षा कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
9- कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य हेतु निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण–पत्र संख्या–ब–21/सीएफओ/बरेली–2013/813 दिनांक 22–08–13 में अंकित शर्तो का पालन सुनिश्चित करना होगा तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन के उपयोग से पूर्व प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें स्थापित उनका निरीक्षण अग्नि शमन विभाग से कराकर स्थाई अग्नि शमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।
10- कार्यालय जिलाधिकारी बरेली से यू0पी0 रोड साइड कन्ट्रोल एक्ट–1945 के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण हेतु प्राप्त सशर्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र संख्या–185/स0सहा0–2013 दिनांक 25–09–13 में अंकित शर्तो का पालन सुनिश्चित करना होग।
11- प्रस्तावित भवन निर्माण के अन्तर्गत भवन निर्माण उपविधि–2008 एवें शासनादेश की अपेक्षाओं के अनुरूप सोलर पैसिव प्रणाली की स्थापना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करनी होगी।
12- प्रस्तावित भवन निर्माण के अन्तर्गत भवन निर्माण उपविधि–2008 एवें शासनादेश की अपेक्षाओं के अनुरूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करनी होगी।
13- शासनादेश के अनुरूप स्थल पर कम से कम 15 वृक्षो का रोपण कराना अनिवार्य है।
14- प्रदत्त अनुज्ञा किसी भी समय प्राप्त प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार से यह ज्ञात होने पर कि यदि आवेदक/भवन स्वामी द्वारा प्रस्तावित निर्माण की अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत मिथ्या वर्णित अभिलेखो के प्रस्तुतीकरण के आधार पर प्राप्त की गयी है, पायी जाती है, तो यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा इस अनुज्ञाा के आधार पर किया गया कोई भी कार्य/निर्माण ऐसी अनुज्ञा के बिना किया समझा जायेगा अर्थात अवैध होगा तथा उसके विरूद्व अन्य कार्यवाही के साथ–साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 के अन्तर्गत मुकदमा भी चलाया जा सकता है।
15- स्वीकृत मानचित्र की प्रति निर्माण स्थल पर सदैव रखना अनिवार्य है, जिसे प्राधिकरण द्वारा अधिकृत अधिकारी निरीक्षण के दौरान देख सके।
16- समस्त निर्माण मानचित्र मे दिये गये विवरण के अनुसार किया जायेगा। निर्माण के दौरान यदि स्वीकृत प्लान में यदि कोई विचलन है, या विचलन किया जाना अभिप्रेत है तो प्रस्तावित विचलन निष्पादित करने से पूर्व प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा।
17- आवेदक/भवन स्वामी द्वारा निर्माण के समय भवन निर्माण सामग्री को अपने भूखण्ड परिसर में ही एकत्र करना होगा तथा निर्माण कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की सरकारी अस्थायी भूमि पर अतिक्रमण नही किया जायेगा।
18- मानचित्र में जो पार्क/खुला स्थान/पार्किंग दर्शायी गयी है, उसका उपयोग पार्क/खुला स्थान/पार्किंग के रूप में ही किया जायेगा।
19- सम्बन्धित भवन स्वामी/आर्कीटैक्ट की यह जिम्मेदारी होगी हर 3 माह में प्राधिकरण अधिकारियों को निर्माण का निरीक्षण करायें।
20- आवेदक/निर्माणकर्ता को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य स्थल पर प्रमुख स्थान पर 2 X 3.50 फिट माप का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक होगा जिस पर भवन निर्माणकर्ता का नाम मोबाईल नम्बर, निर्माण स्थल का पता, साइड इनचार्ज का नाम व मोबाईल नम्बर निर्माण की प्रकृति यथा आवासीय व्यवसायिक हॉस्पिटल, बारातघर आदि स्वीकृत मानचित्र की संख्या मानचित्र में स्वीकृत तल वार आच्छादित क्षेत्रफल स्वीकृत ईकाइयों की संख्या का उल्लेख करना होगा।
21- पक्ष द्वारा स्ट्रक्चरल इंजीनियर से किए गये प्रस्तुत अनुबन्ध के मानकों के अनुसार भूकम्परोधी मानकों का अनुपालन करते हुए भवन का निर्माण किया जायेगा। भवन पूर्ण होने पर स्ट्रक्चरल डिजाइनर/ स्ट्रक्चरल इंजीनियर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
22- मानचित्रों में एरिया चार्ट में दर्शित क्षेत्रफल एवं गणनाओं में अन्तर पाये जाने की दशा में दोनों में न्यूनतम क्षेत्रफल/माप ही स्वीकृत मानी जायेगी।